

*संग्रहीत
संस्कृति
18 मार्च*
हिमाचल प्रदेश सरकार
तकनीकी शिक्षा व्यावसायिक
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग

संख्या ई.डी.एन.(टी ई) ए(३)२/२००६, तारीख शिमला -२

22666 ८-६
२२/१२/०७ ८/२००७

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्यक्ष द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में चौकीदार, चपरासी-एवं- चौकीदार व छारपाल, वर्ग- IV, (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपावन्य 'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

सक्रिय नाम और प्रारम्भ

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग चौकीदार-चपरासी-एवं-चौकीदार व छारपाल वर्ग.-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम 2007 है।
(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (i) इस विभाग की अधिसूचना सेख्या सें० एस टी वी (टी०ई) ए (३)-१/८६, तारीख २४-४-८९ द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग चौकीदार-चपरासी-एवं-चौकीदार और छारपाल) वर्ग.-IV (अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियमों का एतद द्वारा निरसन किया जाता है।

निरन्तर पृ० २

3. ऐसे निरसन के होते हुए भी उर्पयुक्त उप- नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति ए वात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश छारा

प्रधान सचिव (तकनीकी शिक्षा)

हिमाचल प्रदेश सरकार

पृष्ठांकन स० यथोपरि तारीख शिमला.2
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

७-१२-2007

1. समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार
2. निदेशक तकनीकी शिक्षा हिं० प्र० सुन्दरनगर जिला मण्डी
3. सचिव हिं० प्र० लोक सेवा आयोग को 2 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. नियन्त्रक मुद्रण एवं लेखन सामग्री हिं०प्र० शिमला 5 को इसे राजपत्रा असाधारण में प्रकाशन हेतु
5. विधि अधिकारी राज भाषा हिं०प्र० सचिवालय शिमला.2
6. 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।

अवर सचिव(तकनीकी शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार

(3) 60

उपाध्यक्ष के

हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में में चौकीदार चपरासी-एवं चौकीदार व द्वारपाल IV, (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नाम	:	चौकीदार, चपरासी-कम- चौकीदार, व द्वारपाल
2.	पदों की संख्या:	:	चौकीदार = 65 (पैसठ) चपडासी-कम- चौकीदार = 34 (चौतीस) गेटकीपर = 01 (एक) कुल पद = 100 (सौ)
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग -IV (अराजपत्रित)
4.	देतनमान	:	2520-100-3220-110-3660-120-4140/-/-) रुपये (रु. 2620/- के साथ आरम्भ)

व्यवसायी पद अथवा अव्यवसायी पद

6. सीधी भर्ती के लिए आयु : 18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ्या या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत् अभ्यर्थियों को लागू नहीं होती :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ्या या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो तो वह तदर्थ्या या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होता :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए उच्चतम आयु में उतनी ही छूट दी जाएगी जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष जावेशों के अर्थात् अनुज्ञेय है ।

परन्तु यह और भी कि पञ्चिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को जो ऐसे पञ्चिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पञ्चिक सैक्टर, निगमों /स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पञ्चिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो नरचातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किये गये थे/किये गये हैं और उन पञ्चिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किये गये हैं/किये गये थे ।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जायेगी जिसमें पद (पदों) को, यथास्थिति, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है, या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है ।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथित किया जा सकेगा ।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यवितयों के लिए अपेक्षित न्यूनतम् शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ

अनिवार्य अर्ड्डाएँ:-

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कग से कग प्रदीप्ति पास होना चाहिये ।

बांधनीय अर्हताएँ:-

हिमाचल प्रदेश की रुदियों रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान् विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यवितयों के लिए प्रिवेट आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्त व्यवितयों वें दशा में लागू होगी या नहीं

आयु : - लागू नहीं ।
शैक्षणिक अर्हताएँ : लागू नहीं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।

दो वर्ष जिसका एक वर्ष से अनाधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम अधिकारी विशेष परिस्थितियों और लिखित कारणों से आदेश दें ।

10. भर्ती की पद्धति भर्ती सीधी होगी या प्रोन्ति प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतत ।

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या सविदा के आधार पर

11. प्रोन्ति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणिया (ग्रेड) जिनसे प्रोन्ति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जायेगा :

लागू नहीं ।

12. यदि विभागीय प्रोन्ति समिति विद्यमान् हो, तो उसकी संरक्षण

लागू नहीं ।

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है ।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है ।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन भौखिक परीक्षा के आधार पर और यदि यथास्थिति हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीक्षीय समझे तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर पाठ्यक्रम यथास्थिति आयोग/अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए व्यवहन ।

15(क) संविदा नियुक्ति सारा पर
पर नियुक्ति के लिए वयन

(1) संकल्पना

(क) इस नीति के अधीन हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग में चौकीदार चपरासी-एवं-
चौकीदार व छारपाल को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया
जाएगा, जिसे वर्षानुतर्ध आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश आधिनस्थ सेवाने वयन वोई के कार्योत्तर में आना निदेशक तकनीकी
तकनीकी शिक्षा, हिमाचल प्रदेश रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने देतु सरकार का
अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात कम दूर से कग दो अग्रणी समाचार पत्रों में रिक्त पदों को
विज्ञापित करताएगा और विहित आठता और इन नियमों में यथाविहित अन्य पात्रता 'शर्तों को
पूरा करने वाले अधिकारियों से आवेदन आमन्त्रित करेगा।

(ग) वयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर इस प्रकार वयनित व्यक्ति को सरकारी सेवा
में नियमितिकरण या स्वाई आगेलान का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(11) संविदात्मक उपलब्धियाँ

संविदा के आधार पर नियुक्त चौकीदार चपरासी-कम- चौकीदार व छारपाल को
3930/- रुपए की दर से नियत समेकित संविदात्मक रकम (जो वेतनमान् के प्रारम्भिक जमा
महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदर्भ की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक
की बड़ौतरी की जाती है तो कमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में
100/-रुपए (पद के वेतनमान में वार्षिक वृद्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात
किए जाएंगे।

(111) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी

निदेशक(तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होंगा।

(IV) वयन प्रक्रिया :

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए वयन मौखिक
परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीक्षा समझा जाए तो स्थिति
परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम सम्बद्ध भर्ती
अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) सेवन पर नियुक्त व्यक्तियों के लिए चयन समिति जौरी सम्बद्ध भर्ती अधिकारण अर्थात् निदेशक तकनीकी शिक्षा द्वारा यमय- समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार:

अध्यर्थी को घयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपचार -ख के अनुसार करार छरताश्वरित करना होगा ।

(VII) निबन्ध और शर्त:

(क) सविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की 3930/-रुपए की दर से समेकित नियत सविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारंभिक जगा महाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संबंधी की जाएगी । सविदा पर नियुक्त व्यक्ति कमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए सविदात्मक रकम में 100/- रुपए की दर से (पद के वेतनमान में वार्षिक वर्द्धि के बराबर) वार्षिक वृद्धि का ढक्कार होगा और अन्य कोई सम्बद्ध सुविधाएँ जैसे वरिष्ठ / नगम वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतः अस्थाई आधार पर होगी । नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि सविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आवरण वीक नहीं पाया जाता है ।

(ग) सविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

(घ) सविदा पर नियुक्त व्यक्ति 'एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का ढक्कार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक सवित किया जा सकता है । सविदा पर नियुक्त व्यक्ति किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं दिया जाएगा । वह विकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए भी ढक्कार नहीं होगा/ होगी' के बल प्रसुति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(ड.) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतं ही सविदा की समाप्ति (पर्यावरण) हो जाएगी । सविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डब्ल्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए सविदात्मक रकम का ढक्कार नहीं होगा ।

(1)

(42)

(च) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुमति नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी रजिस्ट्रीकेश व्यक्तिगत आपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक समय से गर्भवती महिला प्रसव होने तक अस्थाई तौर पर अनुप्रयुक्ति समझी जाएगी। महिला अधिर्थियों का किसी प्राधिकृत व्यक्तिगत अधिकारी / व्यक्तिगत द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्ति व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर जैसी नियमित कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार:

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में छौकीदार चपरासी-कर्म- छौकीदार व द्वारपाल के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण

उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सभ्य-सम्पद पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों/पिछड़े वर्ग और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गये आदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

ज्यू सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक मीठिन है वहाँ वह कारणों को अभिलिखित करके और हिम रेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से आदेश द्वारा, इन दि या इन नियमों के किसी अपबन्ध(उपबन्धों)को, किसी वर्तित(यों)के प्रवर्ग, या पद (पदों)की बाबत शिथिल कर सकेगी।

..... (पद का नाम) के दिल्लीप्रदेश सरकार के मध्य
(नियुक्ति अधिकारी का नाम) के नाम पर इनिषादित की जाने वाली संविदा / करार का आरूप

यह करार भी / श्रीमति पुत्र / पुत्री औ भिन्नती
..... संविदा पर नियुक्ति व्यधित (जिसे इसमें इसके पश्चात " प्रथम पक्षकार " कहा गया है) और दिल्लीप्रदेश के राष्ट्रपति के मध्य (नियुक्ति प्राधिकारी का नाम) के मध्यम से (जिसे इसमें इसमें पश्चात " द्वितीय पक्षकार " कहा गया है) आज तारीख को किया गया ।

" द्वितीय पक्षकार " ने उपरोक्त " प्रथम पक्षकार " को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने (पद का नाम) के रूप में सांविदा की आधार पर नियुक्तिदिति नियन्त्रण और शतों पर सेवा करने के लिए सम्मति दी है

1. यह यह यह प्रथम पक्षकार (पद का नाम) के रूप में से प्रारम्भ होने वाले को समाचार दीजे जाने दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा । यह विनियोगित रूप से उल्लिखित किया गया है और दीनों धरानों स्थानों करार आया गया है तिथि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा आधिकारी कार्य के लिए दूसरा नौटिल उल्लिखित नहीं होगा ।

2. प्रथम पक्षकार की संविदाप्राप्ति एवं रूपए प्राप्तिकार होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्ति अधिकारी का कार्य / उत्तराधीनी नहीं संभव जाता है तो यह विनियोग प्रदानारी उत्तर रिक्ति के लिए नियुक्त तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार जो लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी ।

4. अधिकारात्मक नियुक्ति किसी भी दशा में विधानितकरण के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

5. संविदा पर नियुक्त (पद का नाम) एक भास की सेवा पूरी करने के पश्चात एक दिन के आकस्तिक अवकाश का हक्कदार होता है । यह अवकाश एक वर्ष तक दीनित किया जा सकता है । संविदा पर नियुक्त (पद का नाम) को भिन्नी भी ग्रकार का अस्थाई अधिकार अनुज्ञात नहीं होता । यह विनियोग प्रतिपूर्ति और छलों द्वारा सौन्दर्यादि के लिए भी हक्कदार नहीं होता / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति वा रुक्त द्वारा संचालित एवं विविध (समाप्त) हो जाएगा । सौन्दर्या पर नियुक्त (पद का नाम) कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति द्वारा अवलोकित के लिए संशिकात्मक रक्षण लेने का हक्कदार नहीं होता ।

6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होता ।

7. व्यानिल अध्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकूल नियन्त्रण व्यवसायी से

सताई रो अधिक की गर्ववस्था प्रसन्न होने तक उसे असाधार्द तौर पर अनुप्रुक्त बना होगी। महेला अभ्यर्थियों का फिसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी आरा उपचुक्ता ने लिए पुनर्परीकण किया जाना चाहिए।

9. राविपा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पर्याय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दोरें जाना अपेक्षन हो तो वह उसी दर पर जीसी पर नियमित प्रतिस्थानी कर्त्त्वारी की लागू है वैलनमान के व्यूगतम याना भत्ते / नैगिक मृत्ति का हक्कार होगा। होगी।

10. राविपा पर नियुक्त व्यक्ति (यो) जो सामूहिक जीवन धोमा योजना के रूप साथ ३० पी० एफ० / जी० पी० एफ० वी लागू नहीं होगा।

इसके साक्षरस्थाप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने संक्षियों की उत्तरिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारेख को अपने -अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। साक्षी की उपस्थिति में

1.

(नाम व पूरा पता)

2.

(नाम व पूरा पता)

साक्षी की उपरियोग में

1.

.....

(नाम व पूरा पता)

2.

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर